से जारी हुए

5-2-20 वकील उभयपक्ष उप०/ N.T. गंगापुर से विभाजन स्कीम पुनः मंगवाई जावे। सहमति हेतु आपत्ती की छाया प्रति भी भिजवाई जावे। पत्रावली दि० 13-2-20 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ ~~प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य ~~कार्यों में व्यस्त है~~/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-2-2020 को पेश हो।

रीडर

13-2-20 वकील उभयपक्ष उप० N.T. गंगापुर से विभाजन स्कीम पुनः मंगवाई जावे। सहमति हेतु आपत्ती की छाया प्रति भी भिजवाई जावे। पत्रावली दि० 27-2-20 को पेश हो।

27-2-20 वकील उभयपक्ष उप० से विभाजन स्कीम प्राप्त होकर पत्रावली में शामिल की गई। बहस पत्रा० दि० 12-3-20 को पेश हो।

12-3-2020 वकील उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष व उभयपक्ष के वकील तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार भूमि विभाजन पर सहमत है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से दि० 12-2-2020 को प्राप्त भूमि विभाजन स्कीम अनुसार वाद डिक्री किया जाता है व पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

विभाजन स्कीम
No objection
12/3/20
12/3/2020

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/2017	1.3.2017	12.03.2020

[illegible] पुत्र रामजीलाल, जाट नि0 टोकसी तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. चौथीपुत्र रामजीलाल, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. बच्चूसिंह पुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. उदयसिंहपुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. [illegible]पुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. सियाराम पुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
6. रैना बेवा धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
7. रणजीत पुत्र चौथी, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
9. शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा टोकसी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 2 ता 6 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि हाल ख0नं0 1281 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 1283 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1700 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1703 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1704 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 1705 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1706 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1707 रकबा 1.25 है0, ख0नं0 1718 रकबा 0.25 है0 कुल रकबा 3.13 है0 ग्राम टोकसी तथा भूमि ख0नं0 1836 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 1837 रकबा 0.11 है0 कुल रकबा 0.64 है0 ग्राम टोकसी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका मौखिक विभाजन कर पक्षकार अपने अपने हिस्सेपर काबिज हैं। ख0नं0 1281, 1283, 1700, 1703 लगायत 1708 में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार ख0नं0 1836, 1837 में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 7 का 1/6 हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकार भूमि पर काबिज हैं। कुछ समय से प्रतिवादीगण ने वादी को उसके हिस्से पर काश्त करने से इन्कार कर दिया एवं कहा भूमि को हम शामलाती काश्त करेंगे। वादी यदि मौखिक विभाजन अनुसार काश्त करना चाहता है तो अपना हिस्सा अलग करवा ले एवं काश्त कर ले। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि भूमि हाल ख0नं0 1281 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 1283 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1700 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1703 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1704 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 1705 रकबा 0.03 है0, ख.नं.1706 रकबा 0.26 है0,

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

खनं0 1707 रकबा 1.25 है0, ख0नं0 1718 रकबा 0.25 है0 कुल रकबा 3.13 है0 तथा भूमि ख0नं0 1836 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 1837 रकबा 0.11 है0 कुल रकबा 0.64 है0 ग्राम टोकसी में वादी के हिस्सा 1/3 का खाता मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से तथा मौके पर कब्जे के आधार पर विभाजन कर वादी का खाता अलग किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को बिना विभाजन रहन वय नहीं करें तथा वादी को उसके खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1, 7, 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक 20.11.2017 को वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 के वकील प्रस्तुत दावे में भूमि का विभाजन कराने हेतु भूमि की विभाजन स्कीम मंगाने पर सहमत हुए एवं उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया। जिस पर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई। जो तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2020/263 दिनांक 12.2.2020 द्वारा इस न्यायालय मे प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के वकीलो को सुना गया। इस विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के अभिभाषगण सहमत है एवं उन्होने इसी अनुसार पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन करने हेतु निवेदन किया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर पक्षकारो के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है-

1. वादी रामभरोसी पुत्र रामजीलाल जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1700 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1718 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1707/2 रकबा 0.33 है0, ख0न0 1707/3 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1836 रकबा 0.22 है0 कुल रकवा 1.11 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी।
2. प्रतिवादी बच्चूसिंह, उदयसिंह, पप्पू, सियाराम पुत्रगण धर्मसिंह, रीना पत्नी स्व0 धर्मसिंह जाति जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1704 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1706 रकबा 0.22 है0, ख0न0 1718 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1707/1 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1707/5 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1836 रकबा 0.010, ख0न0 1837 रकबा 0.11 है0 कुल रकवा 1.12 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी।
3. प्रतिवादी चौथी पुत्र रामजीलाल, जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1703 रकबा 0.44 है0, ख0न0 1706/1 रकबा 0.04 है0, ख0न0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

1707 रकबा 0.33 है0, ख0न0 1707/4 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1836 रकबा 0.21 है0 कुल रकवा 1.11 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी। इसमे ख0न0 1836 मे 1/2 हिस्से की भूमि रणजीत चौधरी पुत्र चौथी जाट की खातेदारी मे रहेगी।

4. प्रतिवादी बच्चूसिंह, उदयसिंह, पप्पू, सियाराम पुत्रगण धर्मसिंह, रीना पत्नी स्व0 धर्मसिंह हिस्सा 1/3, चौथी पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/3, रामभरोसी पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1281 रकबा 0.36 है0, ख0न0 1283 रकबा 0.04 है0, ख0न0 1705 रकबा 0.03 है0 कुल रकवा 0.43 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे एवं नक्शा ट्रेस मे खातेदारी दर्ज की जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं पृथक पृथक लगान कायम किया जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

रामभरोसी पुत्र रामजीलाल, जाट नि0 टोकसी तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. चौथीपुत्र रामजीलाल, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. बच्चूसिंह पुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. उदयसिंहपुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. पप्पूपुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. सियारामपुत्र धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
6. रीना बेवा धर्मसिंह, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
7. रणजीत पुत्र चौथी, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
9. शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा टोकसी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 31/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादी का बाद डिक्री किया जाकर पक्षकारो के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है—

1. वादी रामभरोसी पुत्र रामजीलाल जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1700 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1718 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1707/2 रकबा 0.33 है0, ख0न0 1707/3 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1836 रकबा 0.22 है0 कुल रकवा 1.11 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी।

2. प्रतिवादी बच्चूसिंह, उदयसिंह, पप्पू, सियाराम पुत्रगण धर्मसिंह, रीना पत्नी स्व0 धर्मसिंह जाति जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1704 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1706 रकबा 0.22 है0, ख0न0 1718 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1707/1 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1707/5 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1836 रकबा 0.010, ख0न0 1837 रकबा 0.11 है0 कुल रकवा 1.12 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी।

3. प्रतिवादी चौथी पुत्र रामजीलाल, जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1703 रकबा 0.44 है0, ख0न0 1706/1 रकबा 0.04 है0, ख0न0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रामभरोसी बनाम चौथी वगैरा, दावा

(2)

1707 रकबा 0.33 है0, ख0न0 1707/4 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1836 रकबा 0.21 है0 कुल रकवा 1.11 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी। इसमे ख0न0 1836 मे 1/2 हिस्से की भूमि रणजीत चौधरी पुत्र चौथी जाट की खातेदारी मे रहेगी।

4. प्रतिवादी बच्चूसिंह, उदयसिंह, पप्पू, सियाराम पुत्रगण धर्मसिंह, रीना पत्नी स्व0 धर्मसिंह हिस्सा 1/3, चौथी पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/3, रामभरोसी पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी टोकसी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1281 रकबा 0.36 है0, ख0न0 1283 रकबा 0.04 है0, ख0न0 1705 रकबा 0.03 है0 कुल रकवा 0.43 है0 स्थित ग्राम टोकसी रहेगी।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे एवं नक्शा ट्रेस मे खातेदारी दर्ज की जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं पृथक पृथक लगान कायम किया जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.2017 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.24 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: